

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## प्रेस-विज्ञप्ति

एफ.7 (02)/परीक्षा/व.अ./मा.शि./2018-19/विविध/1925

दिनांक 04/12/2019

वरिष्ठ अध्यापक (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 29.07.2019 से 21.08.2019 तक आयोग द्वारा विभिन्न विषयों की जारी विचारित सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की दिनांक 18.11.2019 से दिनांक 17.12.2019 (सायं) तक आयोजित काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निम्न कार्यक्रमानुसार काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित किया जा रहा है—

| क्रम संख्या | आयोग द्वारा आयोजित निम्न काउन्सलिंग दिनांक में अनुपस्थित अभ्यर्थी | अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु आगामी काउन्सलिंग दिनांक |
|-------------|---|--|
| 1           | 18.11.2019 से 20.11.2019  | 09.12.2019   |
| 2           | 21.11.2019 से 25.11.2019  | 10.12.2019   |
| 3           | 26.11.2019 से 28.11.2019  | 11.12.2019   |
| 4           | 29.11.2019 से 03.12.2019  | 12.12.2019   |
| 5           | 04.12.2019 से 17.12.2019  | 18.12.2019   |

उक्त दिनाकों को प्रातः सत्र में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी आगामी काउन्सलिंग दिनांक के प्रातःकालीन सत्र में एवं सायंकालीन सत्र में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी सायंकालीन-सत्र में उपस्थित हों। उक्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पूर्व में आयोग द्वारा अपलोड किये गये काउन्सलिंग-पत्र ही लेकर काउन्सलिंग हेतु उपस्थित हों, उक्त दिनाकों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों हेतु नवीन काउन्सलिंग-पत्र अपलोड नहीं किये गये हैं।

विचारित सूची में सम्मिलित एवं काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में विधिवत् रूप से भरकर वांछित दस्तावेजों के साथ काउन्सलिंग में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। काउन्सलिंग में पुनः अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा न ही ऐसे अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले अंतिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउन्सलिंग में आमंत्रित ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। शेष शर्तें आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 1741 दिनांक 09.11.2019 के अनुसार यथावत रहेंगी।

(रेणु जयपाल)  
सचिव